06/9/24 आज सुनवाई नियत है। वकील वादी या वकील कोई उपस्थित नहीं। बार बार आज आवाज लगाने के बावजूद भी वादी स्वयं या उसका वकील उपस्थित नहीं आया। उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक वादी के विरुद्ध एकतरफा डिक्री पारित कर पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली निस्तारित होकर अभिलेखागार भेजा जाता है। आज दिनांक 06/9/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।